अधिसूचना।

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि. 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), वरिष्ठ सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2006 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप निदेशक (कारपोरेट लॉ) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना.**— इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनिसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर ये नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:**— वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके**, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ)	04 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300 34800 रुपए ग्रेड वेतन 4800 रुपए	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार के लिए विहित की गई है)	**आवश्यक** (i) किसी भी विद्याशाखा में डिग्री और लॉ में डिग्री ; या (ii) लॉ में इंटीग्रेटेड बेचलर डिग्री और कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव; (iii) किसी विषय में बेचलर डिग्री और इंस्टीच्यूट आफॅ कंपनी सैक्रेटरी से कम्पनी लॉ के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव **वांछनीय** साक्ष्य संग्रह करने या कथनों को लेखबद्ध करने और कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के ढंगों और तकनीकी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित, अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मलित है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मलित है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी निकायों/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो। (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मलित है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा हैं) पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के,** जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण **प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।**

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि/समिति (1) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) में किसी अधिकारी को नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ)	03 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए ग्रेड वेतन 5400 रुपए	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मलित है) द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड 2, 9300 – 34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक जिन्होंने उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मलित है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य संघ क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:

	(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए - ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो। (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए - ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखता हो: **आवश्यक:** (i) किसी विद्याशाखा में डिग्री और लॉ में बेचलर्स डिग्री के साथ कारपोरेट लॉ में एक वर्ष का अनुभव; या (ii) लॉ में इंटीग्रेटेड बेचलर्स डिग्री (5 वर्ष की) और कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या (iii) किसी विषय में बेचलर्स डिग्री और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान से कम्पनी सेक्रेटरी और कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव **वांछनीय:** साक्ष्य संग्रहण करने या कथनों को लेखबद्ध करने और कार्यवाहियों में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने के ढंगों और तकनीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि 3 वर्ष होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सिम्मलित है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1 निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय — अध्यक्ष 2 अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय - सदस्य 3 उप सचिव, कारपोरेट कार्य मत्रालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मलित है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निदेशक (कारपोरेट लॉ)	01 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मलित है) द्वारा।	**प्रोन्नति** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए में के ऐसे वरिष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) जो उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुके हों। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के लिए अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) : क (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखता हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से किसी भी विद्याशाखा में स्नातक और लॉ डिग्री और लॉ डिग्री (एल एल बी) के साथ कारपोरेट लॉ में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) लॉ की पांच वर्षीय इंटेग्रेटेड बेचलर्स डिग्री के साथ कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव; या

	(iii) आई सी एस आई से कंपनी सेक्रेटरी के साथ किसी भी विषय में स्नातक और कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: साक्ष्य संग्रहण करने या कथनों को लेखबद्ध करने और कार्यवाहियों में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने के ढंगों और तकनीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर आद्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि 4 वर्ष होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सिम्मलित है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अन्तर्वर्ती के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:		प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मलित है) पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी की संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1 निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-अध्यक्ष	
2 अपर निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-सदस्य	
3 उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-सदस्य	

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 299(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the** Companies Act, **2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of** Company Affairs, **Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director Recruitment Rules, 2006,** except as **respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government** hereby makes **the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director** (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director **(Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law) Recruitment Rules, 2016.**

(2) **They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.**

2. **Application.** —These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, Age-limit, educational qualifications, etc.**-The method of recruitment to the said post, Age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**

7. **Saving.**—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Assistant Director (Corporate Law).	04 * (2016) *Subject to variation dependant on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted Non-Ministerial.	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800.	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the Age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in	**Essential** (I) Degree in any discipline and Bachelor's Degree in Law ; or (II) Integrated Bachelor's Degree in Law (five years) and one year experience in the field of Corporate Law ; or (III) Bachelor's Degree in any subject and Company Secretary from Institute of Company Secretaries of India and one year experience in the field of Corporate Law .	Not applicable	Two years for direct recruits.

Assam. Meghalaya. Arunachal Pradesh. Mizoram. Manipur. Nagaland. Tripura. Sikkim. Laddakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.	**Desirable** Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statements and presentation of evidence in proceedings. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	Deputation (Including Short-term Contract) : Officers from the Central Government or State Governments, Union Territories Administrations, Pubic Sector Undertakings or Statutory and Autonomous bodies, Universities/Institutes recognized by the Government: (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) With two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or (III) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the qualifications and experience as for direct recruits in column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:. (i) Director, Serious Fraud Investigation Office – Chairman; (ii) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (iii) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Assistant Director (Corporate Law)	03* (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** The Departmental Assistant Director (Corporate Law) in pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800 with two years of regular service thereto in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission. **Deputation (Including Short-term Contract):** Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Pubic Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations: (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (III) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the educational qualifications and experience as under: **Essential** (I) Degree in any discipline and Bachelor's degree in Law with one year experience in corporate Law ; or (ii) Integrated bachelor's degree in Law (of 5 years) and two years' experience in the field of Corporate Law ; or (III) Bachelor's degree in any subject and Company Secretary from Institute of Company Secretaries of India and two years' experience in the field of Corporate Law. **Desirable** (I) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.

	Note 1: Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of three yeaRs. **Note 2:** The maximum Age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee: (i) Director, Serious Fraud Investigation Office —Chairman; (ii) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office —Member; (iii) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs —Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Deputy Director (Corporate Law)	01 * (2016) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for Promotees.

(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** **Senior Assistant Director (Corporate Law) in Pay Band-3 plus Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 5400 with five years of regular service in the grade.** **Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already** completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the **Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission.**

	Deputation (Including Short-term Contract): Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Pubic Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Bodies: (A) (I) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or (II) With five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 5400 or equivalent in the parent Cadre or Department. [B] Possessing the educational qualifications and experience as under: **Essential:** **(I) Degree in any discipline and bachelor's degree in Law (LLB) from any recognised University with two years experience in Corporate Law ; or** **(II) Five year's Integrated bachelor's degree in Law with three years' experience in the field of Corporate Law ; or** **(III) Bachelor's Degree in any subject and Company Secretary from Institute of Company Secretaries of India with three years experience in the field of Corporate Law.** **Desirable:** **Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statements and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.** **Note 1: Period of deputation including period of deputation [including short-term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be for a period of four years.** **Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation [including short-term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.** **Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.**

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: (I) Director, Serious Fraud Investigation Office —Chairman; (II) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (III) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. A.35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.